

**संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), संभाग—ए
राज्य कर, प्रयागराज, लखनऊ
गाजियाबाद, कानपुर, आगरा।**

उत्तर प्रदेश व्यापार कर संग्रह अमीन सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली दिनांक 03 फरवरी 2016 में की गयी व्यवस्थानुसार विभागीय वसूली योजना से रांबधित २० जनपदों में कार्यरत संग्रह सेवकों से संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति के संबंध में मुख्यालय पर गठित चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त पात्र संग्रह सेवकों में कुल 10 संग्रह सेवकों को संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाया गया है।

प्रदत्त नियमावली के अनुसार संग्रह अमीनों के नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सम्भाग ए हैं। अस्तु जनपदवार कार्यरत संग्रह सेवकों जिनका चयन संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया है, का विवरण आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने स्तर से नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें व उन्हें वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराकर उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे रिवित्यों के विरुद्ध पदोन्नति संग्रह अमीनों की तैनाती का आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जा सके।

पदोन्नति हेतु चयनित कार्मिकों की सूची निम्नवत है—

क्र० सं०	ज्य० क०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल
1	433	श्री राज कुमार यादव	स्व० श्री रूप चन्द्र यादव	लखनऊ
2	437	श्री कृष्ण	श्री तुलाराम	गाजियाबाद
3	441	श्री सुधीर कुमार	स्व० श्री राम किशोर	लखनऊ
4	442	श्री जय प्रकाश	श्री जगदीश प्रसाद	प्रयागराज
5	443	श्री सुन्दर सिंह	श्री गंगाधर	आगरा
6	444	श्री अनेक सिंह	श्री राज कुमार	आगरा
7	445	श्री संजय सिंह	श्री ओम प्रकाश	आगरा
8	446	श्री धर्मन्द्र कुमार गौतम	श्री विजय शंकर	कानपुर
9	447	श्री महेन्द्र कुमार	श्री श्याम लाल	कानपुर
10	448	श्री राम शंकर	स्व० श्री प्यारेलाल	लखनऊ

संबंधित नियोक्ता अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही संग्रह अमीन के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायें।

संबंधित नियोक्ता अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित हो अथवा आरोप पत्र निर्गत हो या सतर्कता/ईओडब्ल्यूओ आदि गर्भीर प्रकृति की जांच चल रही हो अथवा अन्य कोई ऐसा कारण यथा विभागीय जॉच/अन्य विपरीत

Allgemein

श्री कृष्ण
Deputy
22/06/2024

तथ्य हो, जिससे पदोन्नति किया जाना उचित न हो तो ऐसे कर्मिकों पर उक्त पदोन्नति आदेश कियान्वित न किया जाये बल्कि ऐसे कर्मिकों की पात्रता निरस्त कराने हेतु वांछित सूचना अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

EDT
(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठों संबंधी दिनांक यथोक्ति।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, ल०प्र०।
2. अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, प्रयागराज, लखनऊ जोन प्रथम, गाजियाबाद, जोन प्रथम, कानपुर, जोन प्रथम, आगरा।
3. संयुक्त आयुक्त (आई.टी.) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. उपायुक्त (क०नि०/कर वसूली) राज्य कर प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा।
5. अधिष्ठान पटल (संग्रह अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

M. Kumar
28.06.24

(आरती कुमारी)

संयुक्त आयुक्त (संग्रह)
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।